

जाति व्यवस्था एवं बदलता भारतीय सामाजिक स्वरूप: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

साधना आदिवासी
शोध छात्रा

शा0 टी0 आर0 एस0 महा0 रीवां म0 प्र0

सारांश —: भारतीय समाज की जाति व्यवस्था एक जटिल एवं सप्रभावी विशिष्टता है। यद्यपि इसकी उत्पत्ति प्रारम्भिक सामाजिक व्यवस्था में दृष्टिगोचर नहीं होता तथापि यह सामाजिक व्यवस्था के विकास के साथ ही अपने वास्तविक स्वरूप; जन्म के आधार पर उदित होता गया। प्रारम्भिक समाज में खास कर प्रागैतिहासिक एवं आद्य ऐतिहासिक काल में इसके जाति व्यवस्था का कोई प्रमाण नहीं मिलता क्योंकि तब समाज कबिलाइ समाज थी। (वैदिक काल; 1500-1000 ई. पूर्व में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख) ऋग्वेद के 10 वें मण्डल में मिलता है।¹ जहाँ विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, बाहु से क्षत्रिय, जांघ से वैश्य तथा पद से शूद्र का उत्पन्न बताया गया है। इस काल में व्यक्तियों का वर्ण जन्म के आधार पर न होकर कर्म के आधार पर था। लेकिन कलांतर में बड़े राज्यों के उदय के साथ ही वर्ण व्यवस्था जटिल होती चली गई, अब वर्ण कर्म के आधार पर न होकर जन्म के आधार पर माना जाने लगा तथा हिन्दू समाज अनेक समूहों में विभक्त हो गया और यह जाति-व्यवस्था के स्वरूप में परिवर्तित हो गया। इन जातियों का रहन-सहन, स्तर, व्यवहार और आचरण में सम्यक अंतर है इस संस्थाओं में अनेकानेक निषेध, प्रतिबंध, कठोरता और जटिलताएँ हैं। किन्तु पिछरे भी इस संस्था का तारतम्य और सौष्टव बराबर बना रहा है। यद्यपि इसके विकसित होने में सैकड़ों वर्ष लगे हैं, तथापि समय-समय पर होने वाले परिवर्तन, प्रादेशिक उलट-पफेर, विदेशी आक्रमण, विभिन्न व्यवसायिक गतिविधिया, प्रारम्भिक अन्तरताएँ तथा वर्ण-विरु (विवाह आदि अनेक तत्वों ने इसके विस्तार में महत्वपूर्ण योग प्रदान किया।

मुख्यशब्द—: भारतीय समाज, जाति व्यवस्था।

प्रस्तावना —:

'जाति' शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की 'जन' धतु से मानी जाती है, जिसका अर्थ, प्रजाति, जन्म अथवा भेद से लिया जा सकता है। अंग्रेजी में जाति के लिए 'कास्ट' शब्द का व्यवहार किया जाता है। यह कास्ट शब्द पुर्तगाली शब्द कास्टा से बना है जिसका अर्थ नस्ल, प्रजाति और जन्म है। इसके साथ

ही 'कास्ट' को लैटिन शब्द 'कास्टस' से भी व्युत्पन्न हुआ बताया जाता है। वस्तुतः इसका संबंध प्रजातीय अथवा जन्मगत आधार पर स्थित व्यवस्था से माना जा सकता है। आधुनिक समाजशास्त्रियों ने भारतीय जाति-प्रथा पर विभिन्न दृष्टियों से विचार किया है तथा यह बताया है कि जाति-प्रथा जन्म से प्रभावित और वर्गगत ढांचे पर आधारित ऐसी प्रथा है जिसमें आव(ता भी है और गतिशीलता भी है। भारतीय समाज की जाति व्यवस्था परम्परागत रूप में वंशानुगत होती चली गई। जो विभिन्न विचारों के साथ परस्पर विरोधी अनेक गुटों में विभाजित होकर वंशानुगत होती गई। और संस्तरण के आधार पर क्रमागत बन गई। इसमें रक्त संकरता अज्ञैर व्यवसाय परिवर्तन नहीं गृहीत किये जाते। साथ ही इसमें नये सदस्यों को भी नहीं स्वीकार किया जाता।³ इस स्वरूप के अन्तर्गत जाति-प्रथा के तीन प्रमुख तत्वों का दिग्दर्शन होता है पहला तो यह है कि जाति व्यवस्था के विभिन्न जातियाँ एक दूसरे का विरोधी होती है। जिसके कारण वे अलग-अलग बनी रहती है। दूसरा यह कि इसमें जन्म को प्रधानता देते हुए व्यवसाय, रक्त, विवाह आदि की अपनी विशेषता परिलक्षित की जाती है जिससे प्रत्येक जाति एक दूसरे से पृथक रहती है। तीसरा यह कि ये जातियाँ से ग्रस्त रहती है।

ऐसी स्थिति में जाति को एक सामाजिक समूह के रूप में स्वीकार किया जा सकता है तथा इसकी दो विशेषताएँ मानी जा सकती है एक तो यह कि जाति की सदस्यता उन्हीं व्यक्तियों तक सीमित रहती है। जिसमें उसका जन्म होता है और दूसरा यह कि इसके सदस्य अनिवार्य सामाजिक नियम के कारण दूसरे समूह में विवाह करने से अवरुद्ध कर दिये जाते हैं।⁴ ऐसी विशिष्टताएँ भारतीय जाति व्यवस्था में विद्यमान थी। और यह आज भी प्रचलित है। भारतीय समाज के अन्तर्गत निवास करने वाली विभिन्न जातियों की अपनी कतिपय विशेषताएँ हैं इन जातियों का विकास विभिन्न जाति-समूहों के रूप में जन्म के आधार पर हुआ, जिनका अपना स्वतंत्रा विकाशील जीवन, भिन्न-भिन्न मान्यताएँ और अपनी पृथक संस्कृति थी। अतः जाति-प्रथा की निम्नलिखित कुछ विशेषताएँ हैं—

- (1) किसी व्यक्ति की जाति उसके जन्म से निर्धारित होती है।
- (2) साधारणतया एक जाति के व्यक्ति अपनी ही जाति में विवाह करते थे।
- (3) प्रत्येक जाति के लोग समाज के कुछ सीमित क्षेत्रों में ही खाद्य और पेय का संबंध रखते हैं।
- (4) प्रत्येक जाति के लोग कुछ परंपरागत व्यवसायों को ही करते हैं।
- (5) समाज के अंदर उच्च-नीच के क्रम से प्रत्येक जाति पूर्व निश्चित है।
- (6) समाज प्रत्येक जाति को कुछ नागरिक या धार्मिक अधिकारों से वंचित करता है जैसे कि कुआं पर चढ़ने या मंदिर में प्रवेश पर प्रतिबंध।
- (7) प्रत्येक जाति के नियम हैं। उनका संबंध पारिवारिक नियमों के उल्लंघन से है।
- (8) जाति की सम्पूर्ण प्रतिष्ठा ब्राह्मणों की प्रतिष्ठा पर निर्भर करती है।⁵

भारतीय समाज में जाति निरंतर प्रवाहमान रहा। सिर्फ उसमें जातियों की संख्या, उपजातियों की संख्या बढ़ती गई। खास कर तब जब बड़े बड़े राज्यों का उदय हुआ जनसंख्या बढ़ी, अनेक आर्य एवं आर्येतर जातियाँ भारतीय समाज में प्रवेश की। अनेक व्यवसाय पर जातियों का उदय हुआ, कर्मकार, लोहार, बढ़ई, चित्राकार, कलाकार। इन जातियों की संख्या बढ़ी और संगठित होकर एक शक्तिशाली स्वरूप धरण कर ली। वैदिक साहित्य में जाति शब्द का उल्लेख नहीं मिलता है किंतु ऐसे वर्गों के नाम मिलते हैं जो परवर्ती काल में जातियाँ बन गईं जैसे कि उग्र, क्षत्र, सूत, पौलकस, चांडाल, आयोगव पंचाल और वैदेह आदि। उग्र शब्द) ऋग्वेद में शक्तिशाली पुरुष के अर्थ में वृहदारण्यक उपनिषद में प्रशासनिक अधिकारी के अर्थ में और वेदोत्तर काल के साहित्य में एक जाति के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है।

वृहदारण्यक उपनिषद में पौलकस का उल्लेख चांडाल के साथ हुआ है। उक्त विवेचना से स्पष्ट है कि वैदिक काल में ऐसे कुछ तथ्य विद्यमान थे जिनसे परवर्ती काल में जातियों की उत्पत्ति हुई। डॉ० काणे का विचार है कि ब्राह्मण ग्रंथों के रचनाकाल में ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य जन्म के आधार पर ही अपना वर्गीकरण कर चुके थे। तथा इस काल में अनेक अनार्य और आदिम जातियाँ आर्य समुदाय में प्रवेश कर चुकी थी।⁶

धर्मसूत्रों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि इस काल में वर्ण जातियों में परिवर्तित होने लगे थे। अब व्यक्ति का वर्ण साधारणतया उसके जन्म के आधार पर निर्धारित किया जाता था। धर्मसूत्रों में ब्राह्मणों को सभी से श्रेष्ठ माना गया है। गौतम से ज्ञात होता है कि ब्राह्मण व्यापारी का भोजन तो ग्रहण तो कर लेते थे किन्तु शिल्पियों का नहीं करते थे। ब्राह्मणों ने अपनी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए यह प्रचार किया कि हीनवर्णों के व्यक्ति भी धर्म का पालन करने पर उत्तरोत्तर जन्मों में उच्चतर वर्णों में जन्म लेते हैं। यद्यपि धर्म सूत्रों में अध्ययन, यज्ञ करना, दान करना क्रमशः तीनों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य के कर्तव्य बताए गए हैं। पर वास्तविक स्थिति इससे भिन्न थी। गौतम धर्मसूत्र में ब्राह्मणों को अपने सेवकों के द्वारा कृषि, व्यापार, और साहुकार कराने की अनुमति दी गई। ये सब वैश्यों के कार्य थे। बाद में ये सब अलग-अलग जातियों में परिवर्तित हो गये। बौद्ध साहित्य एवं जैन साहित्य में वर्ण व्यवस्था की निन्दा की गई है तथा कर्म आधार पर वर्णों का स्वरूप बताया गया है। चार वर्णों के अतिरिक्त कुछ ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें बौद्ध ग्रन्थों के अनुसार हीन जाति समझा जाता है। इनमें पाँच प्रमुख थी। चंडाल, वेण, निषाद, रथकार, पुक्कुस। प्राचीन पालि साहित्य में समाज का विभाजन दो वर्गों में किया गया है। उत्कृष्ट जाति और हीन जाति। ब्राह्मण, क्षत्रियों एवं वैश्यों की गणना उत्कृष्ट जातियों में की गई है। विनयक पिटक ; लगभग चौथी सताब्दी ई.पू. से ज्ञात होता है कि वेणों, चंडालों, निषादों, रथकारों ने उस समय तक अपनी अलग जातियाँ बना ली किन्तु चमार, कुम्हार आदि हस्तशिल्पियों के वर्ग सम्मिलित नहीं थे। अतः इस कार्य में जातिप्रथा में इतनी संकीर्णता नहीं आई थी जितनी बाद में आई।

चौथी सताब्दी में भी चारों वर्णों के प्रायः वे ही सब कर्तव्य बताये गये हैं जिनका उल्लेख धर्मसूत्रों में है। कौटिल्य⁷ एवं मनु ने भी चारों वर्णों का कर्तव्य परम्परागत ही बताया है। लेकिन इसकाल की सबसे विशिष्ट बात यह है कि अनेक विदेशी जातियों का भारत आगमन था। जिसमें यवन पहलव, शक, कुषाण जैसी अनार्य जातियाँ उल्लेखनीय हैं यह विदेशी जातियाँ भारतीय समाज में सम्मिलित हो गईं। भारतीय परम्परागत वर्ण इनसे बचने का भी प्रयास किया गया। तत्कालीन साहित्यों में इन विदेशी आक्रमणकारियों को मलेच्छ कहा गया है। पितर भी ये भारतीय समाज में घुल-मिल गईं। स्वयं मेगस्थनीज ने बताया है कि भारत के तत्कालीक समाज में सात प्रकार की जातियाँ थी। तथा ये भारतीय जातियाँ अपनी ही जाति में विवाह करते थे।⁸ अब भी भारतीय मनुष्यों ने भारतीय वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मणों की सर्वश्रेष्ठता बरकारार

रखा। मनु ने बताया है कि समाज में ब्राह्मणों की स्थिति सर्वश्रेष्ठ है। इस काल से पूर्व; 300 ई.पू.से 200 ई.पू. बौ (एवं जैन समप्रदाय के प्रवर्तक ने वैदिक वर्ण व्यवस्था को अमान्य कर दिया और बताया कि वर्ण का विभाजन कर्म के आधार पर होना चाहिए न कि जन्म के आधार पर। इसका यह प्रभाव पड़ा कि महाभारत⁹ और गीता में भी इसी प्रकार के विचार व्यक्त किये गये हैं। कृष्ण स्वयं गीता में कहते हैं कि मैंने गुण और कर्म के आधार पर समाज का विभाजन चार वर्णों में किया है। इस काल की प्रमुख विशेषता चार वर्णों के अतिरिक्त अनेक जातियों के साथ-साथ उपजातियों की उत्पत्ति हुई उसका प्रमुख कारण अंतर जातिय एवं प्रतिलोम विवाह थी। मनु ने ब्राह्मण पिता एवं क्षत्रिय माता से उत्पन्न संतान को ब्राह्मण एवं प्रतिलोम विवाह से उत्पन्न संतान को ब्राह्मण कहा है। मनु ने अंबष्ठ, निषाद, सूत, उग्र, विदेह, मागध आदि 57 जातियों का उल्लेख किया है।¹⁰ इन सभी जातियों की उत्पत्ति अंतरजातीय विवाहों के फलस्वरूप हुई है जैसे कि ब्राह्मण माता एवं वैश्य पिता की संतान अंबष्ठ, निषाद आदि जातियों का उद्भव हुआ।

गुप्त काल के सामाजिक व्यवस्था में वर्णव्यवस्था का स्वरूप जातिगत अर्थात् वंशगत बना रहा। यह काल ब्रह्मणकाल, भागवत काल आदि नामों से भी जाना जाता है। इस काल में अनेक जातियों का उद्भव हो चुका था। ब्राह्मणों की सर्वश्रेष्ठता इस काल में भी बनी रही। उत्तर भारत में अंतर्वेदी ;गंगा यमुना के बीच का प्रदेश के ब्राह्मण, राजस्थान में श्रीमाल, ब्राह्मण और गुजरात में नागर ब्राह्मण अपने को अन्य प्रदेशों के ब्राह्मणों से सर्वश्रेष्ठ समझने लगे। इस काल तक आते-आते अनेक जातियों का उद्भव हो चुका था। जाति समाज का एक आवश्यक विशेषता बन गया। गुप्तोत्तर काल में अनेक राजपूत वंशों का उद्भव हुआ जिसमें कुछ का अग्नि कुण्ड से उत्पत्ति हुई थी। राजपूत इस काल की सबसे लडाकू जाति के रूप में उभरी। उल्लेखनीय है कि यह काल राजपूत काल के नाम से जाना जाता है। राजपूतों की वंशों में चालुक्य, चहमान, चंदेल, प्रतिहार, परमार, सिंसोदिया आदि महत्वपूर्ण वंशावलिया थी जो तत्कालिन भारत के विभिन्न क्षेत्रों में शासन करती थी।

ब्राह्मण इन राजाओं के पुरोहित या प्रधान मंत्री के पद पर आसीन थे। वैश्यों में अनेक उपजातियां उद्भव हो चुका था तथा शूद्रों में भी यही स्थिति थी। सभी बाहरी जातियां जो उच्च वर्णों में स्थान नहीं पा सकी वह शूद्रों में जगह बना ली। ब्राह्मणों के भी अनेक उपजातियां, भीमदेव द्वितीय के पाटन अभिलेख में रायकवाल, सकराय माता अभिलेख में

‘दध्य’ या ‘दाहिया’ विक्रम संवत् 982 के पुष्कर अभिलेख में ‘पुष्कर’ और अन्य अभिलेखों में ‘आवसथिक’ पुरोहित, द्विवेदी, त्रिवेदी, चतुर्वेदी, मिश्र, दीक्षित और त्रिपाठियों का उल्लेख मिलता है। जिस किसी परिवार के पूर्वज इनमें से किसी वर्ग के थे उनके संतान अपने को उसी जाति का कहने लगे।¹¹

बिहार में ब्राह्मणों की मैथिली, शकद्विपी ;गयावाल या मगद्ध मठ में द्राविड़ आदि उपजातियां बन गईं। इन सभी कालों में वैदिक कालिन वर्ण व्यवस्था में ही अनेक जातियां एवं उपजातियां समाहित होती गईं। जातियों का विभाजन जन्मगत, प्रदेशगत, व्यवसायगत, भाषागत, धर्मगत आदि विभिन्न आधारों पर आधुनिक समाज विश्लेषकों ने जाति को सात भागों में विभाजित किया है। तथा दर्शन विकसित करने की चेष्टा की है कि जातियों के ये सात भाग उनके अपने गुणों के आधार पर उत्पन्न हुये हैं।¹² साथ ही विभिन्न जातियां देश और काल के अन्तराल के साथ भारतीय समाज की इकाई बनी रही। जैसे—

(1) जनजाति—

देश के विभिन्न भागों में जनजातियां सदा से रहती आई हैं जो भारतीय समाज में अपने विभिन्न गुणों और विरोधों के साथ समाविष्ट हुईं। यहा कहीं भी हिन्दू समाज के सम्पर्क में ये जातियां आयी अपने अस्तित्व को पूर्ण रूपेण खो बैठी और कालान्तर में हिन्दू समाज के सदस्य बन गईं आर्यों की आगमन के पहले से देश में अनेक जनजातियां और आदिम जातियां थी जो उत्तर काल में आर्यों द्वारा शूद्र श्रेणी में गृहीत की गईं।¹³

(2) व्यवसायपरक जाति—

वस्तुतः वर्ण—व्यवस्था का सर्वप्रथम आधार व्यवसाय ही था। तत्कालीन समाज में जो जिस कार्य को कर सकने की जितनी क्षमता थी उसे उस व्यवसाय का सदस्य बनाया जाता था। रथकार, चर्मकार, कर्मार, मणिकार, सुराकार, ऐसी ही जातियां थी।¹⁴

(3) सम्प्रदाय आश्रित जाति—

भारत में धर्मों और सम्प्रदायों के विकास से समाज में अनेकानेक लोग उसके अनुयायी हो गये। और यह एक देव विशेष ;शैव धर्म के प्रति आस्था या लिंगायत सम्प्रदाय के प्रति आस्था के कारण लिंगायत जाति के रूप में विकसित हुईं। आज भी यह जाति मुम्बई में एक जाति के रूप में निवास करती है।

(4) वर्णशंकर जाति—

अन्तर्जातिय विवाह से उत्पन्न संतान वर्णशंकर कही गई। इनके माता-पिता में से किसी का वर्ण अथवा जाति नहीं मिलता था। ऐसी संतान अपनी मूल जाति और समाज से बिलग मानी गई जो कलांतर में नई जाति के रूप में विकसित हुई।

(5) राष्ट्रीय भावना से बनी जातियां—

देश में अनेक ऐसी जातियां थी जिसका उद्भव राष्ट्रीय भावना से ओत-प्रोत होकर बनी थी। जैसे-मरहटा, अथवा मराठा जाति इसी राष्ट्रीय भावना से मुगलों के काल में दक्षिण में, आधुनिक महाराष्ट्र में बनी थी।

(6) प्रादेशिकता से बनी जाति—

बहुध अनेक लोग समय-समय पर आजीविका के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर बस जाते थे। आवश्यकतानुसार विवाह भी दूसरे प्रदेश की स्त्रियों से करके नई जाति के उदय में अनायास सहायक हो जाते थे।

(7) रीति-रिवाज से बनी जातियां—

कालान्तर में ऐसी जातियों का भी उदय हुआ जिन्होंने विभिन्न रीति-रिवाज और आचार-विचार अपनाये और उनका अनुगमन करने के कारण वे उसी विशेष जाति से सम्बन्धित हो गये। जाट और राजपूत जातियां एक प्रजाति से बनी तो आवश्यक है किन्तु अब दोनों में पृथकता है। राजपूत जाति अपने को जाट से श्रेष्ठ मानती है तथा क्षत्रिय जाति के समकक्ष समझती है। अतः ऐसी प्रक्रिया द्वारा जातियों की संख्या में काफी वृद्धि हुआ। 'जाति' शब्द का प्रथम उल्लेख 'कृष्ण जाति' के अर्थ में 'निरुक्त' में हुआ है।¹⁵ अग्नि चिवान रामानुपयात्। रामा रमणायोपेयते न धर्माय कृष्णजातीया।। निरुक्त. 12.13 वृहदारण्यकोपनिषद् में वैश्य के जाति शब्द का व्यवहार किया गया है। अष्टाध्यायी में वर्ण शब्द के साथ-साथ जाति शब्द का निवेशन हुआ है जो निश्चय ही वर्ण के स्थान पर प्रयुक्त है। सूत्रा का अर्थ है कि जातिवाची शब्द से 'छ' प्रत्यय लगाकर उस जाति के एक व्यक्ति का बोध होता है उदाहरण के लिए ब्राह्मण जातीय, क्षत्रिय जातीय आदि। अतः जाति एक अब व्यक्ति के पहचान के रूप में निरूपित किया जाने लगा-अमुक व्यक्ति अमुक जाति का है। जाति व्यक्तियों की पहचान बन गई। अतः उक्त विवेचना के आधार पर यह स्पष्ट किया जा सकता है कि जातियों की उत्पत्ति निम्न कारणों से हुई।

(1) अवे डुबोय¹⁶ का मत था कि ब्राह्मणों ने अपनी सर्वोच्चता रखने के लिए यह जाति व्यवस्था उच्चतम युक्ति निकाली। यह राजनीति से प्रेरित चतुर योजना के रूप में स्वीकार किया गया। किन्तु यह विचार ठीक प्रतीत नहीं होता क्योंकि यदि ऐसा होता तो अधिक शक्तिशाली क्षत्रिय और धनी वैश्य वर्गों के विरुद्ध विद्रोह करते।

(2) ओल्डन वर्ग और नेसपफील्ड का मत था कि व्यवसाय पैतृक होने के कारण और डाल्मन का मत था कि व्यापारी शिल्पी अपने व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए अलग-अलग श्रेणियां थी अतः उनमें आपस में घनिष्ठ संबंध स्थापित हुए और उनकी अलग-अलग जातियां बन गई।

(3) सोनार्ट का विचार है कि एक परिवार के व्यक्ति एक ही पूर्वज की पूजा करते थे और संसार के समय एक प्रीति भोज में सम्मिलित होते थे अतः उनके अलग जाति बन गई।

(4) रिजले का मत है कि प्रजाति भेद और रंग भेद के कारण विभिन्न जातियों की उत्पत्ति हुई।

(5) धर्मिक सम्प्रदायों और धर्मिक क्रियाओं में अंतर होने के कारण भी अनेक जातियां बनी जैसे-कि ऋग्वेदी, सामवेदी, यजुर्वेदी, ब्राह्मण, सतनामी, चमार, बिश्नोई, जोगी, गोसाई और महाराष्ट्र में गायन और वैष्णव।

(6) प्रादेशिक भेद के कारण भी अनेक जातियों की उत्पत्ति हुई जैसे कि गोड़, बंगाल, मैथिल, कर्नाटिया और सारस्वत ब्राह्मण।

(7) अलग-अलग प्रजातियों के आधार पर भी अलग-अलग जातियां बन गई जैसे- अरोरा, गूजर, भाटीया, और अहीर आदि।

(8) रोमिला थापर का मत है कि भाषा के आधार पर भी हिन्दु सामाज में जातियों की श्रेष्ठता निर्धारित कि जाति थी। साधरण अनार्य भाषा-भाषी जन-जातियों श्रेष्ठता निर्धारित की जाति थी। साधरण अनार्य भाषा-भाषी जन-जनजातियों का निम्न स्तर दिया जाता था। जैसे कि करार और पुलिंदी।

निष्कर्ष :-

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि भारतीय जाति व्यवस्था की उत्पत्ति किसी एक कारण से नहीं हुई है उसके अनेक कारण थे। भौगोलिक सामाजिक, राजनितिक, धर्मिक और आर्थिक। जादू-टोना में विश्वास, निषि (वस्तुओं का सेवन, आत्मा के स्वरूप के विषय में विभिन्न विचारों से भी जातियों की उत्पत्ति हुई। जाति व्यवस्था का उद्देश्य मनुष्य की ऐतिहासिक और परलौकिक उन्नति करना था। इस व्यवस्था के द्वारा भारतीयों ने समाज के अनेक पहलुओं का हल ढूढ़ निकाला। प्रत्येक जाति के व्यक्ति ने अपने कर्तव्यों की पूर्ति करके समाज के उत्पत्ति संबंधी मनोवैज्ञानिक, आध्यात्मिक और आर्थिक

समस्याओं को सरलता से हल करने में अपना योगदान किया। आज भी जाति व्यवस्था भारतीय समाज का परम्परागत विशेषता बना हुआ है। जाति का मूल आधार जन्मगत है व्यवसाय परम्परागत नहीं। एक ही जाति के लोग अलग-अलग व्यवसाय का चयन कर सकते हैं भारत विविध संस्कृतियों का समुच्चय है इसलिए भारत की सबसे प्रमुख विशेषता अनेकता में एकता है। इसका उल्लेख धर्मिक ग्रन्थों में भी मिलता है। भारत में जातियों की निश्चित संख्या अज्ञात है। पिछले भी विभिन्न समाज शास्त्रियों का कहना है कि भारत में पाँच हजार से अधिक जातियाँ निवास करती हैं।

सन्दर्भ ग्रंथ—

1. रिग्वेद, 10.90.12
2. जयशंकर मिश्र, प्राचीन भारत का समाजिक इतिहास अध्याय-5, पृ० सं०-143
3. ड्रामा और पोकाक, कन्ट्रिब्यूशन्स टु इण्डियन सोशियोलॉजी, पृ. सं०-8-9
4. केतकर, हिस्ट्री अव कास्ट इन इण्डिया, पृ. सं०-15-16
5. दत्त, ओरिजिन ऐण्ड ग्रोथ अव कास्ट इन इंडिया पृ. सं०-3
6. पी०वी० काणे, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्रा, जिल्द-2, भाग-1 पृ. सं०-48
7. शमशास्त्री अर्थशास्त्रा, पृ. सं०-6उद्धृत, नीलकण्ठ शास्त्री दि एज ऑफ दी नंदाज एण्ड मौर्याज, पृ. सं०-116
8. महाभारत, वन, 180, 21-38
9. मनु, 10, 11-13, 18-45
10. दशरथ शर्मा, राजस्थान थू दि एजिज, पृ. सं०-442-443
11. रिसले, द पीपुल अव इंडिया पृ. सं०-83
12. रिग्वेद, 7, 33, 2, 5.83.8
13. अथर्ववेद, 3.5, 6.7 तै० सं० 4.5.4.2. तै. ब्रा० 3.4.1
14. निरुक्त, 12-13
15. डुबयास, हिन्दू मैनेर्स, कस्टम्स एण्ड सेरेमनीज, पृ. सं०-173